प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

अत्यावश्यक सूचना

इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में अवस्थित सरकारी डॉक्टर आवास/कर्मचारी आवास में अनाधिकृत रूप से रहने वाले संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आप यथाशीघ्र आवास को खाली कर दें अथवा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से सम्पर्क कर नियमानुसार अपने नाम पर आवास आवंटित करा लें । दस दिनों के अन्दर आप इस संबंध में प्राचार्य कार्यालय से सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें । निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी सरकारी आवास में यदि कोई भी पदाधिकारी/कर्मचारी अनाधिकृत रूप से रहते हुए पायें जाते हैं, तो आप पर FIR करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

जो सेवानिवृत पदाधिकारी एवं कर्मचारी अनाधिकृत रूप से इस परिसर में रह रहें हैं, उनके पेंशनादि को अवरूद्व करने हेतु सरकार को सूचित किया जाएगा, तत्पश्चात अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

विदित हो कि CWJC – 6684/2010 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है । इस आदेश के अवमानना की स्थिति में यदि संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी पर किसी प्रकार का प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे । ज्ञात हो कि अनाधिकृत रूप से सरकारी आवास में रहना, अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना का रवैया काफी सख्त है ।

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांकः– 315/20 दिनांकः– 14/02/2020
प्रतिलिपिः–

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
2. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
3. एस0एस0पी0, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
4. एस0डी0एम0, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
5. एस0डी0ओ0, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
6. डी0सी0एल0आर0, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
7. अंचलाधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
8. कॉलेज वेबसाईट ।
9. कॉलेज/आवास सूचना पट्ट ।

14/2/2020.
प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर